209/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब नाम	प्रतिवादी
छोटूराम पुत्र धनाराम जाति माली सा. जिलिया		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्वि बाबत

GCMS No. 2022/405

वाद–पत्र नम्बर 209/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20/12/2022	वादी/प्रार्थी **छोटूराम पुत्र धनाराम जाति माली सा. जिलिया** तहसील कुचामनसिटी द्वारा "प्रशासन गांवो के संग फोलोअप अभियान 2022" के तहत प्रस्तुत किया। जिसकी जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076 ग्राम **जिलिया** पटवार मण्डल **जिलिया** तहसील कुचामनसिटी के खाता नम्बर **120** प्रस्तुत कर कथन किया है। प्रार्थी का नाम की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि **बोदुराम पुत्र धनाराम हिस्सा 1/84 जाति माली सा. देह खातेदार अन्य सहखातेदारान के साथ** दर्ज है, जो अशुद्व है। प्रार्थी का शुद्व नाम **छोटूराम पुत्र धनाराम जाति माली सा. जिलिया** तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार नम्बर 763524352579 **दस्तावेज** की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी **जिलिया** भू.अ.नि **चितावा** एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार विधिवत सुनवाई कर नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। प्रकरण का अवलोकन किया गया, राजस्व रेकार्ड में अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे उसका नाम शुद्व किया जा सके तथा उक्त अशुद्वि कब हुई उस राजस्व रेकार्ड की नकले इत्यादि भी वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है, वादी/प्रार्थी नियमित वाद प्रस्तुत कर एवं आवश्यक दस्तावेजात इत्यादि की नकले प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः वाद पत्र/प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2023.02.13 14:35:52 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामन (नागौर)	